न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 49 / 2017 (उदयपुर डिक्री)

मनीष अग्रवाल पिता श्री प्यारे कृष्ण अग्रवाल, निवासी सर्वऋतु विलास, उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. देवीलाल पिता श्री दौलतराम गुर्जर, निवासी बलीचा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. इन्द्रलाल पिता श्री दौलतराम गुर्जर, निवासी बलीचा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. जमना बेवा देवकिशन धाबाई, निवासी नेला, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. भूमिधारी जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
5. सचिव नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी गिर्वा
दिनांक 20.01.2015, प्र. सं. 47 / 13

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री युगल किशोर दशोरा अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री पी. सी. जैन अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट 1 से 3
3. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक रे॰ 4

———:::———

निर्णय **दिनांक 03–01–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण / रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 द्वारा अपीलान्ट / प्रतिवादी व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 व 5 के विरूद्ध एक वाद बाबत् विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बलीचा में वाद पत्र की कलम संख्या 1

वर्णित कुल किता 8 रकबा 1.4600 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसमें वादी संख्या 1 व 2 का संयुक्त रूप से 402/765 वां हिस्सा, वादी संख्या 3 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 108/765 वां हिस्सा होकर पक्षकारान इसी अनुसार काबिज हैं। इस भूमि का विधिवत बंटवाड़ा नहीं होने से असुविधा हो रही है। अतएवं मीट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन कराया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 के पिता को दिनांक 02–03–2013 को नोटिस तामिल हुए तथा दिनांक 17–06–2013 को अपीलान्ट/प्रतिवादी की अनुपस्थिति के कारण उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी। इसके बाद अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड अनुसार अधिनस्थ न्यायालय ने वादी की साक्ष्य लेकर प्रकरण में दिनांक 26–09–2013 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की।

उक्त प्रारम्भिक डिक्री के क्रम में तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड अनुसार विभाजन प्रस्ताव तलबी से पूर्व दिनांक 04–12–2013 को अपीलान्ट/ प्रतिवादी द्वारा आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जा.दी. के तहत आवेदन प्रस्तुत कर अपने विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही को अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

इसी दौरान अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड अनुसार दिनांक 17–12–2013 को तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव अधिनस्थ न्यायालय में अपने पत्र क्रमांक 172 से पेश किये। उक्त विभाजन प्रस्तावों के साथ तहसीलदार द्वारा अंकित किया गया कि प्रारम्भिक डिक्री की पालना हेतु सभी खातेदारों को नोटिस जारी किये गये तथा तहसीलदार द्वारा दिनांक 17–10–2013 को विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने के लिए जारी नोटिस जो कि प्रतिवादी/अपीलान्ट पर तामिल हुई है, वह भी शामिल पत्रावली है।

प्रकरण में दिनांक 23–10–2013 को अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड अनुसार पटवारी को एक पत्र लिखा है, जिसमें उसके द्वारा कथन किया गया है कि पटवारी द्वारा दिनांक 24–10–2013 को बंटवाड़ा कराने हेतु मौके पर उपस्थित होने हेतु आदेश दिये जिसकी प्रतिलिपि उसे दिनांक 22–10–2013 को प्राप्त हुई। उसके द्वारा न्यायालय में प्रकरण को दोनों पक्षों को सुनने हेतु आवेदन पेश कर

रखा है। अतएवं अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय तक बंटवाड़े की कार्यवाही रोकी जावे।

विभाजन प्रस्ताव जो तैयार होकर प्राप्त हुए हैं उसमें प्रतिवादी संख्या 1 मनीष अग्रवाल की ओर से वकील श्री युगल किशोर दशोरा उपस्थित हुए हैं तथा यह कथन किया है कि खेतों में फसल खड़ी होने एवं खेतों में पानी भरा होने के कारण मौके पर कार्यवाही एक माह बाद करने हेतु निवेदन किया है। यह आवेदन दिनांक 24–10–2013 को किया गया है, जिस पर पुनः सभी खातेदारों को दिनांक 25–11–2013 को मौके पर उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र जारी किये गये हैं, बावजूद सूचना के प्रतिवादी संख्या 1 अनुपस्थित रहा है। अर्थात अपीलान्ट स्वयं द्वारा दिनांक 24–10–2013 को एक माह बाद विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने के लिए कहा गया तथा इसकी सूचना उसे दी गयी तथा दिनांक 25–11–2013 को उसे भी उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया है, जिस पर उसे सूचित होने के बावजूद अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड अनुसार एक अन्य आवेदन दिनांक 23–10–2013 को भी पेश शुदा है, जिसमें आदेश 9 नियम 13 जा.दी. के तहत अपीलान्ट मनीष अग्रवाल की ओर से एकतरफा कार्यवाही को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। अर्थात अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड अनुसार अपीलान्ट द्वारा दिनांक 23–10–2013 व दिनांक 04–12–2013 को दो आवेदन आदेश 9 नियम 13 के तहत एकतरफा कार्यवाही को अपास्त किये जाने के लिए पेश किये गये हैं तथा दिनांक 23–10–2013 को अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में बंटवाड़े की कार्यवाही रूकवाये जाने का भी आवेदन किया है।

उक्त आदेश आदेश 9 नियम 13 जा.दी. का जवाब वादीगण द्वारा दिनांक 19–02–2014 को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कथन किया गया है कि प्रतिवादी को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत सम्मन भेजकर तामिल करवायी गयी है फिर भी वह अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है तथा अधिनस्थ न्यायालय के सम्मनों को नजर अंदाज कर झूठे आधारों पर आवेदन पेश किया है। मौके पर बंटवाड़े के समय भी अपीलान्ट/प्रतिवादी जानबूझकर उपस्थित नहीं हुआ है।

प्रकरण में प्राप्त बंटवाड़ा रिपोर्ट पर वादी संख्या 3 द्वारा दिनांक 05–02–2014 को आपत्ति भी पेश की गयी है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड अनुसार अपीलान्ट/प्रतिवादी की आदेश 9 नियम 13 जा. दी. के आवेदन तथा वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की आपत्ति पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 13–03–2014 को निर्णय पारित करते हुए अपीलान्ट प्रतिवादी का आदेश 9 नियम 13 जा.दी. का आवेदन खारिज कर दिया है तथा वादी संख्या 3 द्वारा जो आपत्ति प्रस्तुत की गयी थी, उक्त आपत्ति को स्वीकार कर पुनः विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने हेतु दिनांक 13–03–2013 को आदेश जारी किया है, जिसके क्रम में दिनांक 09–05–2014 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः तहसीलदार गिर्वा को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये जाने के लिए निर्देशित किया गया है।

तहसीलदार के यहां से विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16–06–2014 को अधिनस्थ न्यायालय को उनके निर्देश दिनांक 09–05–2014 के क्रम में प्राप्त हुए। उक्त रिपोर्ट में भी यह अंकित है कि अपीलान्ट अनुपस्थित रहे हैं तथा मनीष अग्रवाल को इस विभाजन प्रस्ताव के लिए दिनांक 21–05–2014 को दिनांक 27–05–2014 के विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने के लिए नोटिस व्यक्तिशः तामिल हुए हैं। दिनांक 31–07–2014 की आदेशिका अनुसार अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट दिनांक 16–06–2014 के क्रम में पुनः बंटवाड़ा रिपोर्ट में आने–जाने के रास्ते का बिन्दु नहीं बताया है एवं इस हेतु दिनांक 12–08–2014 को तहसीलदार को लिखा है। तहसीलदार द्वारा दिनांक 20–11–2014 को पुनः रास्ते के बिन्दु पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए फोटोग्राफ इत्यादि प्रस्तुत किये हैं।

अधिनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 20–01–2015 को प्रकरण में अंतिम डिक्री पारित की। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में वकील अपीलान्ट द्वारा दिनांक 25–11–2014 को एक आवेदन पेश कर यह भी निवेदन किया कि आदेश 9 नियम 13 जा.दी. का प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। अतएवं उसका रिवीजन किये जाने के लिए अवसर प्रदान कराया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 20–01–2015 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा एक अपील इस न्यायालय में 12/2015 दिनांक 30–03–2015 को पेश की, जिसे इस न्यायालय द्वारा

अपने निर्णय दिनांक 18–05–2016 से अपील बेरून मयाद एवं सारहीन होने से खारिज कर दी गयी।

अपीलान्ट द्वारा उक्त निर्णय के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल में द्वितीय अपील संख्या अपील/डिक्री/टी.ए./4002/2016/उदयपुर पेश की, जिसमें माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने निर्णय दिनांक 28–11–2016 से इन निर्देशों के साथ पत्रावली इस न्यायालय को प्रेषित की कि ''स्वयं प्रथम अपीलीय न्यायालय की इस पत्रावली से संबंधित प्रमाणित प्रतिलिपियों से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पेश किया गया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य को नजर अंदाज किया है, जो तथ्यात्मक त्रुटि है और उक्त निष्कर्ष तथ्यात्मक त्रुटि पर आधिरित है। अतः एडमिशन के स्टेज पर ही यह प्रकरण निस्तारण योग्य पाया जाता है और प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण पुनः पक्षकारों को सुनकर धारा 5 मयाद अधिनियम का भी अध्ययन करते हुए निर्णय पारित किया जावे।''

माननीय राजस्व मण्डल के प्रतिप्रेक्षण निर्देशों के क्रम में पत्रावली पुनः रेस्पोन्डेन्ट के आवेदन पर दिनांक 31–05–2017 को अपील संख्या 49/2017 के रूप में दर्ज की गयी। दौराने अपील दिनांक 27–06–2017 को आगामी तारीख पेशी दिनांक तक राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये। इस दौरान अपीलान्ट द्वारा आदेश 39 नियम 7 सपठित धारा 151 जा.दी. का आवेदन पेश कर मौका निरीक्षण किये जाने का निवेदन किया गया, जिसे न्यायालय द्वारा खारिज किया गया।

इसी दौरान अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में पुनः आदेश 1 नियम 10 तथा धारा 340 जाब्ता फौजदारी का आवेदन पेश किया गया। आदेश 1 नियम 10 जा.दी. का आवेदन दिनांक 04–12–2017 को खारिज कर दिया गया तथा धारा 340 जाब्ता फौजदारी के आवेदन का निर्णय अंतिम निर्णय के साथ किये जाने के निर्देश पारित किये गये। वकील अपीलान्ट द्वारा पुनः आदेश 11 नियम 12 व 14 जा.दी. का आवेदन पेश कर विक्रय पत्र तलब किये जाने का निवेदन किया, जिसे इस न्यायालय द्वारा दिनांक 11–12–2017 को खारिज कर दिया गया।

प्रकरण में अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री युगल किशोर दशोरा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री पी. सी.

जैन उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 व 5 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए।

प्रकरण में दिनांक 18–12–2917 को उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस भी मय न्यायिक नजीरों के प्रस्तुत की गयी, जो पत्रावली के रेकार्ड पर उपलब्ध है।

प्रकरण में दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों एवं लिखित बहस के वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया। वही रेस्पोन्डेन्ट के अधिवक्ता ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं इस न्यायालय द्वारा पूर्व में किये गये निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट बेरून मयाद व सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

प्रकरण में हम सर्वप्रथम धारा 340 जाब्ता फौजदारी के आवेदन का निर्णय करना उचित समझते हैं। धारा 340 जाब्ता फौजदारी के प्रावधान निम्नानुसार हैं :–

Section 340 in The Code Of Criminal Procedure, 1973

340. Procedure in cases mentioned in section 195.

(1) When, upon an application made to it in this behalf or otherwise, any Court is of opinion that it is expedient in the interests of justice that an inquiry should be made into any offence referred to in clause (b) of sub- section (1) of section 195, which appears to have been committed in or in relation to a proceeding in that Court or, as the case may be, in respect of a document produced or given in evidence in a proceeding in that Court, such Court may, after such preliminary inquiry, if any, as it thinks necessary,-

(a) record a finding to that effect;

(b) make a complaint thereof in writing;

(c) send it to a Magistrate of the first class having jurisdiction;

(d) take sufficient security for the appearance of the accused before such Magistrate, or if the alleged

offence is non- bailable and the Court thinks it necessary so to do, send the accused in custody to such Magistrate; and

(e) bind over any person to appear and give evidence before such Magistrate.

(2) The power conferred on a Court by sub- section (1) in respect of an offence may, in any case where that Court has neither made a complaint under sub- section (1) in respect of that offence nor rejected an application for the making of such complaint, be exercised by the Court to which such former Court is subordinate within the meaning of sub-section (4) of section 195.

(3) A complaint made under this section shall be signed,-

(a) where the Court making the complaint is a High Court, by such officer of the Court as the Court may appoint;

(b) in any other case, by the presiding officer of the Court.

(4) In this section," Court" has the same meaning as in section 195.

Section 195 in The Indian Penal Code

195. Giving or fabricating false evidence with intent to procure conviction of offence punishable with imprisonment for life or imprisonment.—Whoever gives or fabricates false evidence intending thereby to cause, or knowing it to be likely that he will thereby cause, any person to be convicted of an offence which 1[by the law for the time being in force in 2[India]] is not capital, but punishable with 3[imprisonment for life], or imprisonment for a term of seven years or upwards, shall be punished as a person convicted of that offence would be liable to be punished. Illustration A gives false evidence before a Court of Justice, intending

thereby to cause Z to be convicted of a dacoity. The punishment of dacoity is 3[imprisonment for life], or rigorous imprisonment for a term which may extend to ten years, with or without fine. A, therefore, is liable to 3[imprisonment for life] or imprisonment, with or without fine.

उक्त धारा 340 जाब्ता फौजदारी के उक्त प्रावधानों के तहत अपराध भारतीय दण्ड संहिता के तहत धारा 195 में वर्णित अनुसार विवेचित किये जाने होते हैं। धारा 195 भारतीय दण्ड संहिता के तहत जो आधार दिये गये हैं उन आधारों के सन्दर्भ में रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण द्वारा ऐसे कोई रेकार्ड/तथ्य/कथन इस न्यायालय में पेश नहीं किये गये हैं, जिससे यह अभिनिर्धारित हो सके कि उनके द्वारा कोई झूठ, गलत अथवा फर्जी तथ्य इस न्यायालय में प्रस्तुत किये गये हों। अपीलान्ट का आदेश 1 नियम 10 जा.दी. का आवेदन पूर्व में ही खारिज हो चुका है। रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण द्वारा उक्त भूमि का यदि कोई विक्रय किया भी गया है तो उक्त विक्रय लीड पेन्डेन्सी विक्रय है। उक्त विक्रय पत्र से क्रेतागणों को रेस्पोन्डेन्ट से अधिक अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते एवं रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण द्वारा यदि भूमि का कोई विक्रय किया गया है तो भी उक्त विक्रय से क्रेतागण बाध्य हैं तथा रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण द्वारा किये गये उक्त विक्रय के तथ्यों की जानकारी नहीं देने को धारा 340 जाब्ता फौजदारी एवं धारा 195 भारतीय दण्ड संहिता के तहत इस न्यायालय द्वारा अपराध माने जाने का प्रथम दृष्टया कोई आधार नहीं है। अतएवं अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा धारा 340 जाब्ता फौजदारी का आवेदन खारिज किया जाता है।

प्रकरण में जहां तक मूल अपील का प्रश्न है, इस न्यायालय द्वारा उक्त अपील का निर्णय पूर्व में दिनांक 18–05–2016 को किया जा चुका है। उक्त अपील में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा दफा 5 जाब्ता मयाद के आवेदन जो कि पत्रावली में उपलब्ध है उसे विवेचित करने के निर्देश दिये हैं।

प्रकरण में यह भी सुस्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मयाद का आवेदन पेश कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण का फैसला उपखण्ड अधिकारी उदयपुर द्वारा दिनांक 20–01–2015 को हो चुका था, परन्तु उक्त पत्रावली पीठासीन अधिकारी के चेम्बर से दिनांक

02–02–2015 को न्यायालय में आयी और प्रार्थी ने उसी दिन नकल प्रार्थना पत्र पेश कर दिनांक 20–01–2015 को पारित निर्णय की प्रमाणित नकल मय डिक्री प्राप्त की थी तथा अपील दिनांक 30–03–2015 को पेश कर दी थी। चेम्बर से पत्रावली नहीं आने से अपीलान्ट को निर्णय का ज्ञान नहीं हुआ न ही फैसले की नकल ले सका। इस वजह से 10 दिन का विलम्ब हुआ है। दिनांक 02–02–2015 से अपीलान्ट बाहर कार्य से गया था जहां से दिनांक 30–03–2015 को लौटा और अविलम्ब उसी दिनांक को अपील प्रस्तुत कर दी। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

→ हमारे द्वारा उक्त आवेदन पर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। यह सुस्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा नकल के लिए आवेदन दिनिांक 27–03–2015 को पेश किया गया तथा उसी दिन नकल तैयार होकर उसे प्राप्त हो गयी तथा उसके द्वारा अपील दिनांक 30–03–2015 को पेश की गयी, जबकि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 20–01–2015 के विरूद्ध अपील पेश करने की अवधि दिनांक 19–03–2015 होती है। अपीलान्ट द्वारा यह अपील करीब 10–11 दिन विलम्ब से प्रस्तुत की गयी हैं, जिसके लिए उसके द्वारा जो कारण बताया गया है कि उक्त प्रकरण का फैसला उपखण्ड अधिकारी उदयपुर द्वारा दिनांक 20–01–2015 को हो चुका था, परन्तु उक्त पत्रावली पीठासीन अधिकारी के चेम्बर से दिनांक 02–02–2015 को न्यायालय में आयी और प्रार्थी ने उसी दिन नकल प्रार्थना पत्र पेश कर दिया, परन्तु दिनांक 02–02–2015 से अपीलान्ट कार्य हेतु बाहर जाने से वह दिनांक 30–03–2015 को लौटा और अविलम्ब उसी दिन को अपील प्रस्तुत कर दी।

अपीलान्ट का उक्त कथन उसके द्वारा पेश शुदा निर्णय की नकल से ही मिथ्या प्रतीत होता है, क्योंकि उसके द्वारा नकल हेतु आवेदन दिनांक 02–02–2015 को नहीं किया जाकर दिनांक 27–03–2015 को पेश किया गया था तथा उसी दिनांक 27–03–2015 को अपील तैयार होकर उसे प्राप्त भी हो गयी। तद्नुसार नकल दिये जाने में किसी प्रकार का विलम्ब नहीं हुआ है। विलम्ब के लिए अपीलान्ट द्वारा जो कारण बताये गये हैं वह उचित एवं पर्याप्त के स्थान पर मिथ्या हैं, जो रेकार्ड से सुस्पष्ट होता है। तद्नुसार अपीलान्ट का दफा 5 मयाद कण्डोन किये जाने का आवेदन एवं पेश शुदा शपथ पत्र मिथ्या है। अतएवं अपील अपीलान्ट प्रथम दृष्टया बेरून मयाद होने से ही खारिज योग्य है।

अपील बेरून मयाद होने से प्रकरण में गुणावगुण पर विवेचन किये जाने का कोई औचित्य नहीं है, फिर भी हम अपीलान्ट द्वारा जो प्रमुख उजर लिये गये हैं उन पर विवेचन करना उचित समझते हैं। यह सुस्पष्ट होता है कि अपीलान्ट द्वारा यह अपील अंतिम डिक्री के विरूद्ध पेश की गयी है, परन्तु उसके समस्त उजरात प्रारम्भिक डिक्री के विरूद्ध हैं। प्रकरण में यह भी सुस्पष्ट होता है कि अपीलान्ट को मूल वाद के सम्मन उसके पिता को प्राप्त होने के बावजूद वह अधिनस्थ न्यायालय में क्यों उपस्थित नहीं हुए इसका कोई कारण उनके द्वारा नहीं बताया गया है तथा इसके बाद करीब 3 बार विभाजन प्रस्तावों के समय उसे तलब किया गया, परन्तु वह उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद भी अपीलान्ट द्वारा आदेश 9 नियम 13 जा.दी. का आवेदन खारिज हो जाने के बाद उसके स्वयं के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में रिवीजन किये जाने का भी आवेदन पेश किया है, परन्तु कोई रिवीजन प्रारम्भिक डिक्री के विरूद्ध उसके द्वारा नहीं किया गया।

प्रकरण में अपीलान्ट को विभाजन प्रस्ताव तैयारी के लिए हर बार नोटिस जारी किये गये हैं तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन नियमों को दृष्टिगत रखते हुए प्राप्त समस्त आपत्तियों का निस्तारण किया गया है तथा अपीलान्ट द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयारी के दौरान विभाजन प्रस्ताव एक माह बाद तैयार किये जाने का आवेदन किया गया गया, जिसे भी विभाजन अधिकारियों द्वारा उपरोक्त विवेचन अनुसार माना गया है तथा विभाजन प्रस्ताव जिसके आधार पर अंतिम डिक्री जारी की गयी है, उसमें क्या त्रुटि है, इस बाबत् अपीलान्ट का पूरे अपील मीमों में कोई उजर नहीं है। उसका सिर्फ यह कथन है कि उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, जबकि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड अनुसार विभाजन प्रस्ताव के समय उसे बार–बार सूचित किये जाने की साक्ष्य उपलब्ध है। विभाजन प्रस्ताव से अपीलान्ट किस प्रकार व्यथित है, इस बाबत अपीलान्ट द्वारा कोई कथन नहीं किया गया है। सिर्फ यह कथन किया गया है कि उसे सुना नहीं गया है। उक्त विभाजन प्रस्ताव से उसके व्यथित होने का क्या आधार है, इस बाबत् उसका कोई कथन नहीं है। बहस के दौरान मौखिक रूप से उसके द्वारा यह कथन किया गया है कि रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण सहखातेदार द्वारा एक लिखतम की गयी है कि विवादित भूमियों का वह विक्रय नहीं करेंगे। उक्त दस्तावेज न तो पंजीकृत है, न ही साक्ष्य में प्रदर्श हुआ है, न ही काश्तकारी कानून में इस प्रकार के कोई प्रावधान हैं कि कोई एक

सहखातेदार किसी दूसरे सहखातेदार को अपंजीकृत लिखतम/इकरारनामें के आधार पर उसे भूमि विक्रय नहीं किये जा सकने अथवा बंटवाड़ा नहीं किये जा सकने को निषिद्ध करें। किसी भी सहखातेदार को विभाजन का वाद लाने का हमेशा अधिकार होता है और विभाजन प्रस्ताव जो तैयार किया गया है उसमें अपीलान्ट की क्या आपत्तियां हैं तथा विभाजन में उसके हक अधिकार व कब्जे को लेकर क्या आपत्तियां हैं, इस बाबत् कुछ भी वर्णित नहीं किया गया है। अर्थात अंतिम डिक्री में जो विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये हैं तथा जिस आधार पर अंतिम डिक्री दिनांक 20–01–2015 को जारी की गयी है उसकी अविधिकता तथा अंतिम डिक्री के आदेश से व्यक्ति होने के लिए अपीलान्ट द्वारा कोई तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि होने बाबत् कोई कथन/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। तद्नुसार अपीलान्ट की अपील प्रथम दृष्टया गुणावगुण पर भी पोषणीय नहीं है।

उपरोक्त समग्र विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपील बेरून मयाद है एवं गुणावगुण पर भी पोषणीय नहीं है। अतएवं अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 20–01–2015 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 03–01–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

मनीष अग्रवाल पुत्र प्यारेलाल अग्रवाल, निवासी सर्वऋतु विलास, उदयपुर। बनाम **देवीलाल पुत्र दौलतराम गुर्जर, निवासी बलीचा, तहसील गिर्वा जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**49 / 2017**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....20**.....माह.....**01**.....**2015**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**03**....माह.....**01**.....सन् **2018** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**.श्री युगल किशोर दशोरा**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**.श्री पी.सी. जैन**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 20–01–2015 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**03**.....माह.....**01**.....**2018** को जारी किया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।